# राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आर्मसडेल,शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152

Email:secysec-hp@nic.in


**No. SEC(F)10-26/2021-L- Dated the 15 th May, 2026**

## प्रेस विज्ञप्ति

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने आज यह जानकारी दी है कि हाल ही में बार काउंसिल के चुनाव हुए थे तथा जिन मतदाताओं ने बार काउंसिल के चुनाव में मतदान किया था, उन मतदाताओं (अधिवक्ताओं) के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हुई है।

इस विषय में आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप मंडलाधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा हाल ही में बार काउंसिल में मतदान किया गया था और मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हुई है, तो उन्हें इस वजह से मतदान करने से नही रोका जाएगा यदि वह मतदान दल के समक्ष इस आशय का अधिवक्ता परिचय पत्र/बार काउंसिल परिचय पत्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान स्थापित हो जाने के उपरांत उन्हें मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में मतदान की अनुमति देने से पूर्व उनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारु संचालन तथा उचित पहचान एवं मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु की जा रही है।

दिनांकः 15.05.2026

स्थानः शिमला

सु. राठौर

(सुरजीत सिंह राठौर)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश